प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021

प्रपत्र–7

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प दान्दू

–: आदेश :–

प्रार्थी के **"खाता दुरूस्ती"** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लोखाड़ व भू.अ.नि. सिरसला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरू/नायब तहसीलदार – की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्योदानपुरा तहसील चूरू व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 89 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्योदानपुरा	89	श्योराम पुत्र मालाराम हिस्सा पूर्ण जातिजाट निवासी श्योदानपुरा जातेदार सहित (पूर्णखाता) कब्जेदार राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चांदू	सेवाराम पुत्र मालाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी श्योदानपुरा जातेदार सहित (पूर्णखाता) कब्जेदार राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चांदू

20/10/21

पीठासीन अधिकारी
भू–अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :– 125/2021

दिनांक :– 20.10.2021

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, चूरू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सेवाराम पुत्र मालाराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 17:22:07 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21

भू–अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

397
20.10.2021